

ब्रिटेन के वीजा नियम हुए कठोर



ब्रिटेन के वीजा नियम हुए कठोर

ब्रिटेन ने गैर यूरोपीय संघ के आप्रवासियों और पेशेवरों के लिए अपनी वीजा नीति में परिवर्तन किया है. ये परिवर्तन भारतीयों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है. यह कदम ब्रिटेन का विदेशी कामगारों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास है. ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने वीजा नियमों में ये घोषणाएं की हैं:

- टीयर 2 अंतर-कंपनी हस्तांतरण (आईसीटी) के तहत वेतन सीमा की आवश्यकता £20,800 से बढ़ाकर £30,000 कर दी है. यह बड़ी संख्या में भारतीयों को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से आईटी पेशेवरों को
- टीयर 2 (सामान्य) अनुभवी कर्मचारियों के लिए कुछ रियायतों के साथ वेतन सीमा £25,000 तक बढ़ा दी गई है
- टीयर 2 (आईसीटी) स्नातक प्रशिक्षु की वेतन सीमा घटा कर £23,000 कर दी गई है
- स्थानों की संख्या को प्रति वर्ष प्रति कंपनी 20 तक बढ़ा दिया गया है
- टीयर 2 (आईसीटी) कौशल हस्तांतरण उप-श्रेणी अब बंद कर दी गयी है



KBK Infographics